राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 922/2025

श्रीमती नीलिमा बजाज पत्नी स्वर्गीय श्री संजय बजाज और पुत्री श्री हीरालाल खतूरिया, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी 16-ए-सेक्टर 13, हिरणमगरी, उदयपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, सचिव के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री जय किशन रांकावत

प्रतिवादी के लिए :

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

<u>14/01/2025</u>

1. यहां याचिकाकर्ता, जो सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) बनने की इच्छुक है, अन्य बातों के साथ-साथ अधिसूचना / विज्ञापन दिनांक 22.06.2023 (अनुलग्नक 7) में संलग्न उस टिप्पणी को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग करती है, जिसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होने की पहली तारीख को शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/497/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसे देखें)

गई है और प्रतिवादीगण को उसे साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति देने हेतु आदेशित करने की मांग करती है।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। प्रतिवादी ने दिनांक 22.06.2023 को एक अधिसूचना/विज्ञापन जारी कर कॉलेजिएट शाखा में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने पूर्णतः योग्य होने के कारण पद के लिए आवेदन किया। दिनांक 07.01.2024 और 21.05.2024 को दोनों लिखित परीक्षाएँ सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद वह दिनांक 26.12.2024 के पत्र के अनुसार, दिनांक 09.01.2025 को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुई। हालाँकि, याचिकाकर्ता का साक्षात्कार नहीं हुआ और उसे प्रतिवादी से दिनांक 09.01.2025 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अपेक्षित योग्यता की कमी के कारण उसकी अभ्यर्थिता खारिज कर दी गई थी। पत्र में निर्दिष्ट किया गया था कि साक्षात्कार की तिथि (09.12.2024) तक, उसके पास आवश्यक पी.एच.डी. योग्यता नहीं थी।

2.1 अभिवचित मामला यह है कि याचिकाकर्ता 2016 में अंग्रेजी में पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में शामिल हुई। उसका पी.एच.डी. प्रमाणपत्र 07.01.2025 को जारी किया गया था, हालांकि उसने 2019 में अपना शोध कार्य पूरा कर लिया था। उसने 09.04.2024 को मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अंग्रेजी विभाग में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। मौखिक परीक्षा (वायवा वोक) 03.01.2025 के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें उसने सफलतापूर्वक भाग लिया, और विश्वविद्यालय द्वारा 07.01.2025 दिनांकित एक प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें पुष्टि की गई कि अनंतिम पी.एच.डी. प्रमाणपत्र नियत समय में जारी

किया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 2019 में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, वहीं उसका शोध-प्रबंध प्रस्तुतीकरण और मौखिक परीक्षा बाद में हुई, जिसमें मौखिक परीक्षा शोध-प्रबंध प्रस्तुतीकरण के आठ महीने बाद हुई, जैसा कि दिनांक 31.12.2024 की अधिसूचना में इंगित किया गया है।

2.2 संक्षेप में, याचिकाकर्ता ने 2019 में अपना पीएचडी पाठ्यक्रम पूरा किया, 09.04.2024 को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, और 03.01.2025 को सफलतापूर्वक अपनी मौखिक परीक्षा पूरी की। हालाँकि, उसकी अभ्यर्थिता इसलिए अस्वीकार कर दी गई क्योंकि सहायक प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार शुरू होने की तिथि, यानी 09.12.2024 तक उसके पास पी.एच.डी. की डिग्री नहीं थी।

2.3 साक्षात्कार प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार निर्धारित योग्यता की आवश्यकता और दिनांक 09.01.2025 के अस्वीकृति पत्र से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता का अपनी स्वयं की याचिका में अभिवचित मामला यह है कि साक्षात्कार की तिथि अर्थात 09.12.2024 को उसके पास पी.एच.डी. की डिग्री नहीं थी, जैसा कि दिनांक 07.01.2025 के प्रमाण पत्र से सिद्ध होता है, जो निम्नानुसार पठित है (अनुलग्नक-6):-

> "यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. शिव शर्मा, अंग्रेजी विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर के निर्देशन में सुश्री नीलिमा बजाज की पी.एच.डी. मौखिक परीक्षा *(*वायवा-वोक*)* दिनांक *3* जनवरी, *2025* को

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/497/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

> सफलतापूर्वक आयोजित की गई है और उन्हें नियत समय पर अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।"

5. यहाँ चुनौती दिए गए विज्ञापन में यह प्रावधान है कि अभ्यर्थी के पास साक्षात्कार की प्रारंभ तिथि अर्थात 09.12.2024 तक आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। संबंधित खंड नीचे पुन: प्रस्तुत है:-

> "उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा. किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
>
> <u>नोट- साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।"</u>

6. उपरोक्त के मद्देनजर, विज्ञापन के खंड के निबंधनों के अनुसार जो यहाँ चुनौतीगत है, याचिकाकर्ता अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अभाव में संबंधित पद के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं थी। विज्ञापन का खंड उन सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू किया गया है जो अपात्र थे। याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करने का परिणाम उन लोगों के प्रति प्रतिकूल भेदभाव होगा जो इस न्यायालय के समक्ष नहीं थे और जिन्हें आवश्यक योग्यता न होने के आधार पर बाहर कर दिया गया था।

7. याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय उपरोक्त खंड की पूरी जानकारी थी और केवल असफल रहने के बाद उसने पाला बदल लिया है और विज्ञापन के खंड को चुनौती दी है। चूँकि यह स्पष्ट रूप से बाद का विचार है, इसलिए मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता।

---

8. इसके अलावा, यह याचिकाकर्ता का मामला भी नहीं है कि उसे मौखिक परीक्षा के बिना पी.एच.डी. की डिग्री प्रदान की जा सकती है, जो कि डिग्री प्रदान करने से पूर्व पीएचडी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता की मौखिक परीक्षा 03.01.2025 को हुई, जो कि कट-ऑफ तिथि यानी 09.12.2024 के काफी बाद की तारीख है।

9. चयन के मामले में कट-ऑफ तिथि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का लचीलापन मनमानेपन के खतरे से भरा होता है।

10. एक विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या 03.01.2025 से पहले याचिकाकर्ता की कोई मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की किसी गलती के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा मौखिक परीक्षा हेतु उसका साक्षात्कार नहीं लिया गया था। मौखिक परीक्षा आयोजित होने में उसकी देरी इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन नहीं है। किसी भी स्थिति में, मौखिक परीक्षा, जो कि पी.एच.डी. पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, के बिना उनके पास पी.एच.डी. की डिग्री होना नहीं माना जा सकता है, भले ही उसने वर्ष 2019 में पाठ्यक्रम का शेष हिस्सा पूरा कर लिया हो। याचिकाकर्ता को शुरू से ही पता था कि उसने अभी तक मौखिक परीक्षा नहीं दी है और इसलिए वह आगे साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं है और फिर भी उसने अपने जोखिम पर चयन प्रक्रिया में भाग लिया।

11. परिणामस्वरूप, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

---

12. खारिज की जाती है।

13. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित समझे जाएंगे।

(अरुण मोंगा), जे

135-धनंजयएस/एसकेएम

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate